

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 3/4/2017/एसडीआर/खंड II

दिनांक: 10 अक्टूबर, 2018

सेवा में

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

- विषय:** (i) आपराधिक पूर्ववृत्त वाले व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन लड़ने से सम्बन्धित याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय ;  
(ii) प्ररूप-26 में संशोधन (अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र का फार्मेट)

महोदय/महोदया

सभी अभ्यर्थियों को सभी निर्वाचनों में नाम निर्देशन पत्रों के साथ-साथ प्ररूप-26 में शपथ पत्र देना अपेक्षित होता है जिसमें आपराधिक मामलों, परिसंपत्तियों, देयताओं और शैक्षणिक अर्हताओं की घोषणा की जाती है। प्ररूप-26 को अब विधि एवं न्याय मंत्रालय की दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या एच-11019(4)/2018-विधायी-11 के तहत संशोधित कर दिया गया है। प्ररूप-26 में किए गए संशोधन वर्ष 2015 की रिट याचिका (सि) संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ एवम् अन्य) और वर्ष 2011 की रिट याचिका (सि) संख्या 536 (पब्लिक इंटरैस्ट फाउंडेशन एवम् अन्य बनाम भारत संघ एवम् अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसरण में हैं। प्ररूप-26 की अद्यतनीकृत प्रति के साथ उपर्युक्त अधिसूचना की एक प्रति इसके साथ संलग्न है। अभ्यर्थियों को अब संशोधित प्ररूप-26 में शपथ पत्र देना अपेक्षित है।

2. वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित निदेश दिए हैं:-

- “(i) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग द्वारा यथा-उपबंधित प्ररूप भरेगा और इस प्ररूप में दिया गया यथापेक्षित सारा ब्योरा अवश्य दिया जाना चाहिए।  
(ii) अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना का ब्योरा बड़े अक्षरों में दिया जाएगा।

- (iii) यदि कोई अभ्यर्थी किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा/रही है, तो उसे अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में दल को सूचना देना अपेक्षित है।
- (iv) सम्बन्धित राजनैतिक दल, आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त सूचना को अपनी वेबसाइट पर डालने हेतु बाध्य होगा।
- (v) अभ्यर्थी और सम्बन्धित राजनैतिक दल अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में अपने इलाके में व्यापक रूप से वितरित किए जाने वाले समाचार पत्रों में एक घोषणा जारी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार भी करेंगे। व्यापक रूप से प्रचारित किए जाने से हमारा तात्पर्य यह है कि नाम निर्देशन पत्र भरने के उपरांत इसे कम-से-कम तीन बार किया जाएगा।”

3. उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में, आयोग ने सम्यक विचार विमर्श करने के उपरान्त, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचनों में उन अभ्यर्थियों, जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले या तो लम्बित हैं या पूर्व में दोषसिद्धि के मामले हैं, के द्वारा तथा उन राजनैतिक दलों, जो ऐसे अभ्यर्थी खड़े करते हैं, के द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए निम्नलिखित निदेश दिए हैं:-

(क) लोकसभा, राज्य सभा, विधान सभा या विधान परिषद के निर्वाचन में ऐसे अभ्यर्थी, जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले या तो लम्बित हैं या ऐसे मामले जिनमें दोषसिद्धि हो गई है, ऐसे मामलों के बारे में निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक वितरण वाले समाचार पत्रों में एक घोषणा व्यापक रूप से प्रकाशित करेंगे। यह घोषणा एतद्वारा संलग्न फार्मेट सी-1 में अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख से लेकर मतदान होने की तारीख से दो दिन पहले तक कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों में प्रकाशित की जानी है। यह सामग्री कम से कम 12 के फॉन्ट आकार में और समाचार-पत्रों में उचित स्थान पर प्रकाशित की जानी चाहिए ताकि व्यापक रूप से प्रचारित किए जाने सम्बन्धी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(उदाहरण: यदि अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख किसी महीने की 10 तारीख है और मतदान की तारीख उस महीने की 24 तारीख है तो घोषणा उस महीने की 11 तारीख और 22 तारीख के बीच की जाएगी।)

(ख) आपराधिक मामलों वाले ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह भी अपेक्षित होगा कि वे उपर्युक्त अवधि के दौरान तीन अलग-अलग तारीखों को टीवी चैनलों पर भी उपर्युक्त घोषणा प्रकाशित करेंगे। किन्तु, टीवी चैनलों पर घोषणा के मामले में इसे मतदान सम्पन्न होने के लिए निर्धारित समय समाप्त होने से 48 घंटे पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए।

(ग) प्ररूप-26 की मद 5 और 6 में घोषणाओं के अनुसार आपराधिक मामलों वाले सभी अभ्यर्थियों के मामले में, रिटर्निंग अधिकारी, समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में व्यापक प्रचार के लिए आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा प्रकाशित दिए जाने वाले करने के लिए इन दिशानिर्देशों के बारे में एक लिखित अनुस्मारक देंगे। अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले ऐसे अनुस्मारक के लिए एक मानक फॉर्मेट, **फॉर्मेट सी-3** के रूप में संलग्न है। अभ्यर्थी, जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने निर्वाचन व्यय लेखा के साथ उन समाचार पत्रों की प्रतियां जमा करेंगे जिनमें इस संबंध में उनकी घोषणा प्रकाशित की गई थी।

(घ) राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थियों के मामले में, चाहे मान्यता प्राप्त दल या पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल हों, ऐसे अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनैतिक दल को अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया है। ऐसी घोषणा के लिए प्रावधान प्ररूप-26 में नई जोड़ी गई मद (6क) में किया गया है।

4. आपराधिक मामलों, चाहे वे लंबित हों या पूर्व में दोषसिद्ध हो गए हों, से जुड़े अभ्यर्थियों को खड़े करने वाले मान्यताप्राप्त और पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस संबंध में अपनी वेबसाइट के साथ-साथ टीवी चैनलों में तथा संबंधित राज्य में व्यापक सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों में विवरण देते हुए घोषणा प्रकाशित/प्रसारित करें। राजनैतिक दलों द्वारा यह घोषणा इसके साथ संलग्न **फॉर्मेट सी-2** में प्रकाशित की जानी चाहिए। उपर्युक्त पैरा 3(क) में उल्लिखित अवधि के दौरान समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में इस घोषणा को कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों को प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है। टीवी चैनलों के मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रकाशन/प्रसारण निर्वाचन के लिए मतदान सम्पन्न होने के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के पहले पूरा कर लिया जाए। ऐसे सभी राजनैतिक दल संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक


रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि उन्होंने इन दिशा-निर्देशों की अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं और इसके साथ संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में दल द्वारा प्रकाशित की गई घोषणा-पत्रों वाली पेपर कटिंग संलग्न हैं। यह निर्वाचन के संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके बाद, अगले 15 दिनों के अंदर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी संबंधित दलों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा चूककर्ताओं के मामलों को इंगित करते हुए, यदि कोई हों, आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

5. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी आवास, यदि कोई हो, जो अभ्यर्थियों को आबंटित किया गया है, के विरुद्ध देयताओं के संबंध में अतिरिक्त शपथ-पत्र के लिए प्रावधान सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों तथा सरकारी देयताओं से संबंधित मद(8) के अंतर्गत प्ररूप-26 में अब शामिल कर दिया गया है। इसलिए अभ्यर्थी फार्म-26 की मद (8) में इस संबंध में अपेक्षित घोषणा/विवरण देंगे। तदनुसार, अब अभ्यर्थियों को आयोग के दिनांक 3 फरवरी, 2016 के आदेश सं.509/11/2004-जेएस-1 के अधीन निर्धारित अतिरिक्त शपथ-पत्र दाखिल करना अपेक्षित नहीं है क्योंकि ये प्रावधान अब प्ररूप-26 के ही भाग हैं।

6. इस पत्र को राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों को, उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए वितरित किया जाए। इस पत्र को राज्य में आधारित सभी राजनैतिक दलों अर्थात् मान्यताप्राप्त दलों की राज्य इकाइयों तथा अन्य राज्यों के मान्यताप्राप्त दलों तथा अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित मुख्यालयों वाले सभी पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को उपर्युक्त निर्देशों तथा प्ररूप-26 में संशोधन के अनुदेशों को नोट करने के लिए परिचालित किया जाए।

7. कृपया पावती दें तथा की गई कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,



(के.एफ. विल्फ्रेड)

वरिष्ठ प्रधान सचिव

**फार्मेट सी-1**

(अभ्यर्थियों के लिए समाचार-पत्रों, टी.वी. में प्रकाशन हेतु )

**आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा**

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटेरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार)

अभ्यर्थी का नाम एवं पता: \_\_\_\_\_

राजनैतिक दल का नाम: \_\_\_\_\_

(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां "निर्दलीय" लिखें)

निर्वाचन का नाम: \_\_\_\_\_

\*निर्वाचन क्षेत्र का नाम: \_\_\_\_\_

मैं \_\_\_\_\_ (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता/करती हूं:

क्रम सं.	लंबित आपराधिक मामले			आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण	
	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं मामले की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा(एं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदेश(शों) की तारीख	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण

\*राज्य सभा के निर्वाचन या विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद् के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

टिप्पणी: (i) अलग-अलग पंक्तियों में प्रत्येक मामले के लिए अलग-अलग विवरण दें।

(ii) समाचार-पत्रों में विषयवस्तु कम से कम 12 के फोन्ट आकार में प्रकाशित की जानी चाहिए।

**फार्मेट सी-2**

(राजनीतिक दलों के लिए वेबसाइट, समाचार-पत्रों/टी वी में प्रकाशन हेतु)

दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटरैस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम: \_\_\_\_\_

\*निर्वाचन का नाम: \_\_\_\_\_

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम: \_\_\_\_\_

1.	2.	3.	4.	5.
क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	लंबित आपराधिक मामले	आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के विषय के संबंध में विवरण
			न्यायालय का नाम, मामले की सं. एवं मामलों की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराएं और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
			न्यायालय का नाम एवं आदेश(शों) की तारीख	अपराध(धों) और अधिरोपित किए गए दण्ड का विवरण

\*राज्य सभा के निर्वाचन और विधान सभा सदस्यों द्वारा, विधान परिषद् के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

टिप्पणी :- (i) उपर्युक्त सूचना प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए राज्य-वार प्रकाशित की जाएगी।

(ii) समाचार-पत्रों में विषयवस्तु कम से कम 12 के फोन्ट आकार में प्रकाशित की जानी चाहिए।

## रिटनिंग अधिकारी का कार्यालय

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : .....

राज्य का नाम : .....

निर्वाचन का नाम : .....

यह सूचित किया जाता है कि रिट याचिका (सिविल) 2011 की सं. 536 (पब्लिक इंटरैस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय एवं आयोग के दिनांक 10.10.2018 के पत्र सं. 3/ईआर/2018/एसडीआर में दिए गए निदेशों के अनुसार, आपराधिक मामले - चाहे लंबित मामले या पूर्व में दोषसिद्धि के मामले वाले सभी अभ्यर्थियों से, अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख के बाद और मतदान की तारीख से दो दिन पहले के दौरान, तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में ऐसे आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा प्रकाशित करने की अपेक्षा की जाती है। टीवी चैनलों में प्रकाशन की घोषणा मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे की अवधि से पहले पूरी हो जानी चाहिए।

चूंकि आप, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए नामित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री.....(अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख करें) ने प्ररूप-26 की मद सं. 5/6में आपराधिक मामले के बारे में सूचना की घोषणा की है, अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से वितरित होने वाले समाचार पत्रों में एवं टीवी चैनलों में इस जानकारी को प्रत्येक में कम से कम तीन अवसरों पर प्रकाशित करें। जानकारी प्रकाशित करने के लिए फार्मेट इसके साथ संलग्न है। यह भी सूचित किया जाता है कि आपराधिक मामले के बारे में सूचना प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों की प्रतियां, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अधीन निर्वाचन व्यवस्था के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

तारीख :

हस्ताक्षर.....

रिटनिंग अधिकारी/सहायक रिटनिंग अधिकारी का नाम.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....

टिप्पणी : इसकी एक प्रति अभ्यर्थी को दी जानी चाहिए और एक प्रति रिटनिंग अधिकारी के पास रखी जानी चाहिए।

प्ररूप 26  
(नियम 4क देखिए)

कृपया यहाँ  
पासपोर्ट साइज  
का अपना  
नवीनतम फोटो  
चस्पा करें

..... निर्वाचन-क्षेत्र से  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)  
.....(सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष  
अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं,.....\*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी.....आयु.....वर्ष, जो.....(डाक का पूरा पता लिखें)  
का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ,  
शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

- (1) मैं.....(\*\*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/\*\*एक  
स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।  
(\*\*जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम.....(निर्वाचन-क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं.....के  
क्रम सं.....पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा/मेरे.....संपर्क दूरभाषा संख्या/संख्याएं है/हैं और.....मेरा ईमेल पता  
(यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं।  
(i).....  
(ii).....  
(iii).....

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं			
2.	पति या पत्नी			
3.	आश्रित - 1			
4.	आश्रित - 2			
5.	आश्रित - 3			



(5) लंबित आपराधिक मामले

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।  
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

या

- (ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं:  
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों का ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं.			
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.			
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)			
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण			
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)			
(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दे, जिसको आरोप विरचित किए गए थे			
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)			

(6) दोषसिद्धि के मामले,-

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।  
(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए सिद्धदोष किया गया है:

(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

### सारणी

(क)	मामला संख्यांक			
(ख)	न्यायालय का नाम			
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दे, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)			
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है			
(ङ)	दोषसिद्धि के आदेशों की तारीखें			
(च)	अधिरोपित दंड			
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)			
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें			

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

[ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए]

टिप्पण:

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के मामले विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाए।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलो को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।

4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती हैं।  
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।”।

(7) यह कि मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - “आश्रित” से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है(हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।”;

टिप्पण 5 - प्रत्येक विनिधान के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग-अलग रूप में दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम					
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम					

(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम					
(vi)	मोटर वाहन/वायुयान/याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य					
(ix)	सकल कुल मूल्य					

#### ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस संरूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)					
	सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					

(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) -अवस्थिति (अवस्थितियां) -सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) -अवस्थिति (अवस्थितियां) -सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					

	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य					

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं/देय राशि के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-  
(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या देय राशि बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या देय राशि नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य देयता					
	देयताओं का सकल योग					

(ii)	सरकारी शोधयः सरकारी आवास से संबंधित विभागों को शोधय	<p>क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में हैं ?</p> <p>ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात् :-</p> <p>(i) सरकारी आवास का पता: ..... ..... .....</p> <p>(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मद्दे कोई शोधय संदेय नहीं है-</p> <p>(क) भाटक; (ख) विद्युत प्रभार; (ग) जल प्रभार; और (घ) .....(तारीख) को टेलीफोन प्रभार</p> <p>[तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिए]</p> <p>टिप्पण- उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p>	हां/नहीं (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं)			
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोधय (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं)					
(iv)	आयकर शोधय					
		स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(v)	जीएसटी शोधय					
(vi)	नगरपालिका/संपत्ति पर शोधय					
(vii)	कोई अन्य शोधय					

(viii)	सभी सरकारी शोध का कुल योग					
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त हैं, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।”;					

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं .....

(ख) पति या पत्नी .....

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे--

(क) स्वयं .....

(ख) पति या पत्नी .....

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हों.....

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाए-

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे.....

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे.....

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे.....

(घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे.....

(ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं.....

(च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों हिस्सा हैं.....।”।

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

.....  
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)।



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का सारांश

1.	अभ्यर्थी का नाम		श्री/श्रीमती/कु.			
2.	डाक का पूरा पता					
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य					
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)					
5.	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या					
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है"।					
7.		स्थायी लेखा सं. (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी					
	(ख) पति या पत्नी					
	(ग) आश्रित					
8.	आस्तियों और देयताओं के ब्यौरे (रुपए में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)					
ख.	स्थावर आस्तियां					
	i.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत				
	ii.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)				

	III.	निम्नलिखित का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य-  (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)  (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9.		देयताएं					
	(i)	सरकारी देय राशि (कुल)					
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
10.		ऐसी देयताएं जो विवादाधीन हैं					
	(i)	सरकारी देय राशि (कुल)					
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
11.		उच्चतम शैक्षणिक अर्हता : (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

### सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या देयता से भिन्न कोई आस्ति या देयता नहीं है।

आज तारीख..... को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

---

टिप्पण : 1. शपथपत्र नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन अपराह्न 3:00 बजे तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में उपलब्ध कराने के लिए कोई सूचना नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र या तो टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखा होना चाहिए।



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4010] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 10, 2018/आश्विन 18, 1940  
No. 4010] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2018/ASVINA 18, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2018

**का.आ. 5196(अ).**—केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 के साथ पठित धारा 77 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 90 में, क्रम सं. 28 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

1.	2.	3.	4.
"29.	तेलंगाना	70,00,000	28,00,000।"।

- मूल नियमों के प्ररूप 26 में,--

(अ) भाग - क में,--

- (1) पैरा (5) और पैरा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :--

“(5) लंबित आपराधिक मामले,--

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

(ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं :

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों के ब्यौरे दें)

## सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं.			
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.			
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/मंहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड मंहिता, आदि की धारा .....)			
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण			
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)			
(च)	यदि उपरोक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दें, जिसको आरोप विरचित किए गए थे			
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाइल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)			

(6) दोषसिद्धि के मामले,—

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि नहीं किया गया है।  
(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्धि नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्धि किया गया है :

(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्धि किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

## सारणी

(क)	मामला संख्यांक			
(ख)	न्यायालय का नाम			
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/ मंहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड मंहिता, आदि की धारा .....)			
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्धि किया गया है			

(ड)	दोषमिद्धि के आदेशों की तारीखें			
(च)	अधिराषित दंड			
(छ)	क्या दोषमिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)			
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्राम्थिति दें			

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और पैरा (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषमिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

एंग्रेसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए।

#### टिप्पण :

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किए जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के सामने विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक् रूप से दिए जाएं।
3. ब्यौरे विनोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामले को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक् शीट जोड़ी जा सकती है।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचना देने का उत्तरदायी होगा।

(II) क. "जंगम आस्तियों के ब्यौरों" शीर्ष के अधीन, पैरा (7) में "टिप्पण 4" के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्:--

**"टिप्पण 4:** "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है(हैं), जिसके आय के पृथक् माधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।"

(III) पैरा (8) की सारणी में, क्रम सं. (ii) से क्रम सं. (iv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

#### "सारणी

"(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवाम से संबंधित विभागों को शोध्य	(क) क्या अभिमाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवाम के अधिभोग में है ? (ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात्:-- (i) सरकारी आवाम का पता ..... ..... ..... (ii) उपरोक्त सरकारी आवाम के संबंध में निम्नलिखित के मद्दे कोई शोध्य संदेय नहीं है— (क) भाटक :
-------	---	---

		(ख) विद्युत प्रभार ; (ग) जल प्रभार ; और (घ) ..... (तारीख) को टेलीफोन प्रभार [तारीख उस माम से, जिसमें निर्वाचन अधिमूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे माम की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिए] <b>टिप्पण :</b> उपरोक्त सरकारी आवाम के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की वास्तव संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।				
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य  (जिसके अंतर्गत वायुयान और हैलीकाप्टर भी हैं)					
(iv)	आय-कर शोध्य					
		स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(v)	जीएसटी शोध्य					
(vi)	नगरपालिका/ संपत्ति कर शोध्य					
(vii)	कोई अन्य शोध्य					
(viii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग					
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त हैं, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित हैं, उल्लेख करें ।";					

(iv) पैरा (9) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे--

(क) स्वयं .....

(ख) पति या पत्नी .....

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हों .....

(9ख) समूचित सरकार और किसी पब्लिक कंपनी या कंपनियों के साथ संविदाएं—

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे .....

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे .....

- (ग) आश्रितों द्वारा की गई मंविदाओं के व्यौरे .....
- (घ) हिन्दू अविभक्त कुटुंब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई मंविदाओं के व्यौरे .....
- (ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई मंविदाओं के व्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं .....
- (च) प्राइवेट कंपनियों द्वारा की गई मंविदाओं के व्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा है .....
- (आ) भाग-ख के पैरा 11 में क्रम संख्या 5 और क्रम संख्या 6 के सामने स्तंभ (2) के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"5.	लंबित अपराधिक मामलों की कुल संख्या	
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषमिद्ध ठहराया गया है।"	

[फा. सं. एच.11019(4)/2018-वि.2]

डॉ. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. सं. 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन का.आ.संख्यांक 1133(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2017 द्वारा किए गए थे।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

(Legislative Department)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th October, 2018

**S.O. 5196(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 77 read with section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

- (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Conduct of Elections Rules, 1961 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 90, after serial number 28 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

1.	2.	3.	4.
"29.	Telangana	70,00,000	28,00,000."

- In Form 26 of the principal rules,—

(A) in PART A—

(D) for paragraphs (5) and (6), the following paragraphs shall be substituted, namely:—

“(5) Pending criminal cases.—

(i) I declare that there is no pending criminal case against me.